भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 507
जिसका उत्तर बृहस्पतिवार, 28 अप्रैल, 2016 को दिया जाना है

नि:शक्त व्यक्तियों के लिए उत्पाद शुल्क में रियायत

507. श्री दिलीप कुमार तिर्की:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कारों की खरीद पर मंत्रालय की 'नि:शक्त व्यक्तियों के लिए उत्पाद शुल्क में रियायत' नामक योजना के संबंध में सामान्य जागरूकता का अभाव है;
(ख) क्या यह भी सच है कि जनता में जागरूकता के अभाव के कारण इस योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियों की संख्या हर साल घटती जा रही है; और
(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में लाभार्थियों की संख्या का वर्षवार ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने इस योजना के संबंध में सामान्य जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क): जी, नहीं। 'नि:शक्त व्यक्तियों के लिए उत्पाद शुल्क में रियायत' प्राप्त करने के लिए इच्छुक लाभार्थी को निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार भारी उद्योग विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला पात्रता प्रमाण-पत्र लेना आवश्यक है। विस्तृत दिशा-निर्देश भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट (www.dhi.nic.in=>Scheme=>Excise duty concession to PWDs=>Excise duty concession certificate with disability) पर उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग): जी, नहीं। पिछले तीन वर्षों में लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

	2013	**2014**	**2015**
लाभार्थियों की संख्या	**63**	**58**	**113**

******